बिहार सरकार
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

आदेश

संचिका संख्या 5/अ04 105/2017 492 पटना, दिनांक 21.7.17

श्री जवाहर राम, कनीय अभियंता, लोक स्वास्थ्य रूपांकण एवं योजना अंचल सं0 3 पटना के विरूद्ध लगातार लगभग 21 (एक्कीस) वर्षो से अनाधिकृत तरीके से अपने सेवा से गायब रहने का मामला विभाग के संज्ञान में आया। उक्त के आलोक में जांचोपरांत समीक्षा के क्रम में यह पाया गया कि श्री राम के विरूद्ध लगाये गये आरोप प्रथम द्रष्टया प्रमाणित होते हैं तथा सरकारी सेवक के रूप में श्री राम का कृत सरकारी कर्तव्यों में लापरवाही एवं अनुशासनहीनता बरतने का द्योतक एवं बिहार सेवा संहिता के नियम 76 का स्पष्ट उल्लंघन है। फलतः उनके विरूद्ध आरोप प्रपत्र 'क' में आरोप गठित किया गया।

2. वर्णित परिप्रेक्ष्य में श्री राम के विरूद्ध अभिकथित आरोप के लिए यह निर्णय किया गया है कि श्री जवाहर राम, कनीय अभियंता, लोक स्वास्थ्य रूपांकण एवं योजना अंचल सं0 3 पटना के विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 17(2) के अधीन विभागीय कार्यवाही संस्थित की जाय। एतदर्थ उक्त विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु श्रीमती पूनम, कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य रूपांकण एवं योजना प्रमंडल सं0 6, बिहार, पटना को जांच संचालन पदाधिकारी एवं श्रीमती प्रियम्बदा, सहायक अभियंता, लोक स्वास्थ्य रूपांकण एवं योजना प्रमंडल सं0 8, बिहार, पटना को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

3. आरोपित श्री राम संकल्प प्राप्ति की तिथि से 10 कार्य दिवसों के भीतर, उस तिथि एवं उस समय पर, जो जांच संचालन पदाधिकारी इस निमित लिखित नोटिस द्वारा विनिर्दिष्ट करें अथवा उनके द्वारा यथा विनिर्दिष्ट उस अतिरिक्त 10 दिनों से अनधिक समय के भीतर, उनके समक्ष स्वयं उपस्थित होंगे तथा विनिर्दिष्ट आरोपों के संबंध में अपना लिखित बचाव बयान समर्पित करेंगे।

4. जांच संचालन पदाधिकारी से अपेक्षा की जाती है कि निर्धारित समय सीमा के भीतर जांच प्रतिवेदन उपलब्ध करायेंगे।

5. आदेशः आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति आरोप प्रपत्र 'क' के साथ श्री जवाहर राम, कनीय अभियंता, लोक स्वास्थ्य रूपांकण एवं योजना अंचल सं0 3 पटना, जांच संचालन पदाधिकारी श्रीमती पूनम, कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य रूपांकण एवं योजना प्रमंडल सं0 6, बिहार, पटना एवं प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी श्रीमती प्रियम्बदा, सहायक अभियंता, लोक स्वास्थ्य रूपांकण एवं योजना प्रमंडल सं0 8, बिहार, पटना को दी जाय।

21.07.2017
(डी0पी0 सिंह)
अभियंता प्रमुख सह विशेष सचिव

ज्ञापांक 5/आ04 105/2017 492 पटना, दिनांक 21.7.17

प्रतिलिपिः आरोप पत्र की प्रति के साथ श्री जवाहर राम, कनीय अभियंता, लोक स्वास्थ्य रूपांकण एवं योजना अंचल सं0 3 पटना/जांच संचालन पदाधिकारी, श्रीमती पूनम, कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य रूपांकण एवं योजना प्रमंडल सं0 6, बिहार, पटना एवं प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी, श्रीमती प्रियम्वदा, सहायक अभियंता, लोक स्वास्थ्य रूपांकण एवं योजना प्रमंडल सं0 8, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Sd/- 21.7.2017
(डी0पी0 सिंह)
अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव

ज्ञापांक 5/आ04 105/2017 492 पटना, दिनांक 21.7.17

प्रतिलिपिः सचिव के आप्त सचिव/उप सचिव/अवर सचिव/सभी मुख्य अभियंता/सभी अधीक्षण अभियंता/सभी कार्यपालक अभियंता/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा 01 एवं 02 तथा **आई0टी0 मैनेजर, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।**

Sd/- 21.7.2017
(डी0पी0 सिंह)
अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव